रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर प्रथम ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रनि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2023..
   प्र. इ. रि. सं. .....36/2023..... दिनांक .....11/2/2023.....
2. (अ) अधिनियम .....7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018).....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....120बी भादंसं.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....202.....समय.....8.20 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक शुक्रवार /10.02.2023/समय. 11.31 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 01.02.2023/समय 05.15 पी.एम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – टाईप शुदा लिखित रिपोर्ट
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर पश्चिम...लगभग 95 किलोमीटर.. .....
   (ब) पता–पुलिस थाना मांढण पुलिस जिला भिवाडी ...बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना..... जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री सुरेन्द्र सिंह
   (ब) पति का नाम .... श्री सरदार सिंह .....
   (स) जन्म तिथि /52 वर्ष .....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... दारू ठेकेदार .....
   (ल) पता–गांव नानगवास तहसील नीमराणा पुलिस थाना मांढण जिला अलवर हाल पार्टनर व संचालक शराब की कम्पोजिट शॉप नं0 1, ग्राम पंचायत मांढण ।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1–श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सिह जाति अहीर उम्र 50 वर्ष निवासी धोकिया पुलिस थाना जाटूसान तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा) हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण पुलिस जिला भिवाडी (अलवर),

2–श्री प्रधुमन सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश जाति अहीर उम्र 43 वर्ष निवासी जखराना तहसील व पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल हैड कानि0 नम्बर 31 पुलिस थाना मांढण पुलिस जिला भिवाडी (अलवर),

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....25,000/–रूपये रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....25000/–रूपये रिश्वत राशि .....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर, विषयः–पुलिस थाना मांढण, जिला भिवाडी (अलवर) के रिश्वतखोर थानेदार श्री मुकेश कुमार व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 नं0 31 को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने के लिये, महोदय, निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, जाति अहीर, उम्र 52 साल, निवासी नानगवास, तहसील नीमराणा, जिला अलवर का रहने वाला हूँ तथा मांढण में लाईसेन्सशुदा शराब की दुकान का संचालन करता हूँ। कस्बा मांढण में आबकारी विभाग द्वारा श्री नाहर सिंह को अग्रेजी व देशी शराब की एक कम्पोजिट दुकान नं0 1 ग्राम पंचायत माढण, खुंदरोड, डाबडवास के नाम से आवंटित हुई थी, जिसमें धीरज यादव पुत्र श्री रामनिवास निवासी मिल्कपुर, तहसील बहरोड की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी में उसके साथ 5 प्रतिशत की मेरी भी हिस्सेदारी है तथा उक्त दुकान का संचालन व देखरेख का समस्त कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है। दिनांक 29.01.2023 को पुलिस थाना मांढण का थानाधिकारी श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 मेरी शराब की उक्त दुकान पर आये और मेरे से कहने लगे की आपने ब्रांच चला

रखी है और आज हमने आपकी 7 पेटी देशी शराब की पकडी है। यदि आपको अपने शराब के ठेके का आगे सही संचालन करना है तो प्रतिमाह 30,000 रू0 मासिक बंधी के तौर पर रिश्वत के देने पडेगे, नही तो आपकी शराब की दुकान को नही चलने देगें और मुकदमें दर्ज कर–कर के बन्द करा देगें। पुलिस थाना मांढण का थानाधिकारी श्री मुकेश कुमार व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 मेरे को 30,000 रू0 मंथली रिश्वत के लिये परेशान कर रहे है तथा मेरे को मेरी शराब की दुकान का संचालन सही नही करने देते है और नाजायज परेशान करते है। मैं उक्त दोनों को 30,000 रू0 मंथली रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उन्हे मेरे से रिश्वत लेते हुये को ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 01.02.2023, प्रार्थी–हस्ताक्षर सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह,जाति अहीर, उम्र 52 साल, निवासी नानगवास,तहसील नीमराणा, जिला अलवर, हाल पार्टनर/संचालक शराब की कम्पोजिट शॉप नं0 1, ग्राम पंचायत मांढण,मोबाईल नं0 7742932619, हस्ताक्षर–स्वतंत्र गवाह–श्री प्रीतम लाल व गोपाल लाल सैन,,दिनांक 09.02.2023,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 01.02.2023 को समय 05.15 पी0एम0 पर श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर द्वारा मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये परिवादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, जाति अहीर, निवासी नानगवास, तहसील नीमराणा, जिला अलवर से बाद परिचय उस द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह व उसके प्रार्थना पत्र को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में लाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि कस्बा मांढण में आबकारी विभाग द्वारा श्री नाहर सिंह को अग्रेजी व देशी शराब की एक कम्पोजिट दुकान नं0 1 ग्राम पंचायत माढण, खुदरोट, डाबडवास के नाम से आवंटित हुई थी, जिसमें धीरज यादव पुत्र श्री रामनिवास निवासी मिल्कपुर, तहसील बहरोड की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी में उसके साथ 5 प्रतिशत की मेरी भी हिस्सेदारी है तथा उक्त दुकान का संचालन व देखरेख का समस्त कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है। दिनांक 29.01.2023 को पुलिस थाना मांढण का थानाधिकारी श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 मेरी शराब की उक्त दुकान पर आये और मेरे से कहने लगे की आपने ब्रांच चला रखी है और आज हमने आपकी 7 पेटी देशी शराब की पकडी है। यदि आपको अपने शराब के ठेके का आगे सही संचालन करना है तो प्रतिमाह 30,000 रू0 मासिक बंधी के तौर पर रिश्वत के देने पडेगे, नही तो आपकी शराब की दुकान को नही चलने देगें और मुकदमें दर्ज कर–कर के बन्द करा देगें। पुलिस थाना मांढण का थानाधिकारी श्री मुकेश कुमार व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 मेरे को 30,000 रू0 मंथली रिश्वत के लिये परेशान कर रहे है तथा मेरे को मेरी शराब की दुकान का संचालन सही नही करने देते है और नाजायज परेशान करते है। मैं उक्त दोनों को 30,000 रू0 मंथली रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उन्हे मेरे से रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री मुकेश कुमार, थानाधिकारी व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31, पुलिस थाना मांढण, जिला भिवाडी (अलवर) से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा बोल–बोल कर एक कम्प्यूटर की दुकान वाले से कम्प्यूटर पर टाईप करवाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा उक्त शराब की दुकान में परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह का हिस्सा होने के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने अपने पास से श्री नाहर सिंह द्वारा श्री धीरज पुत्र रामनिवास के पक्ष में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी का 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर किये गये ईकरारनामा की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति व श्री धीरज यादव द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में अपनी 65 प्रतिशत हिस्सेदारी में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी करने बाबत दिनांक 01.08.2022 को साधा कागज पर लिखे गये समझौता पत्र की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं परिवादी से की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर समय 05.45 पीएम पर कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि0 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर रिश्वती मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो उसने बताया कि उसको अलवर से मांढण पहुचने में काफी समय लग जायेगा और मांढण पहुचने में रात हो जायेगी तथा रात के समय श्री मुकेश कुमार, थानाधिकारी व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 उससे नही मिलेगें, दिनांक 02.02.2022 को उसे कस्बा मांढण में लाकर कोई ए0सी0बी0 का आदमी डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दे, उस समय वह श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से पुलिस थाना मांढण में बात करके रिश्वत मांग का सत्यापन करवा देगा। जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 462 का परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से परिचय करवाया जाकर दोनों के आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को हिदायत दी गई कि वह श्री मुकेश कुमार, थानाधिकारी व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के पास पुलिस थाना मांढण पर जाने से पूर्व ए0सी0बी0 के श्री महेश कुमार कानि0 से सम्पर्क कर डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु जावें, साथ ही श्री महेश कुमार कानि0 को हिदायत दी गई कि वह दिनांक 02.02.2023 को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर डिजिटल वाईस रिकार्डर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को सुपुर्द करे। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को गोपनीयता की हिदायत कर समय 06.00 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 02.02.2023 को समय 09.00 ए0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसकी परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से वार्ता हुई है और उसने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा मांढण में बुलाया है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि0 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा होकर खाली होना सुनिश्चित कर श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से सम्पर्क कर उससे बताये गये स्थान पर जाकर मिलने तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ संदिग्ध आरोपीगण थानाधिकारी व हैड कानि0 के पास जाकर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का एवं संदिग्ध आरोपीगण की पहचान करने का प्रयास करने तथा बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादी को हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर महेश कुमार कानि0 462 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के वास्ते मांग सत्यापन कार्यवाही बजानिब मांढण, तहसील नीमराणा, जिला अलवर रवाना किया गया। इसके बाद समय 01.00 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल वाट्सऐप वॉयस कॉल कर अवगत करवाया कि परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव ने उसे डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया है कि मैं रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना मांढण में गया तो वहा पर मुझे श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 मौजूद मिला, जिससे मैंने श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी के बारे में पूछा तो उसने थानाधिकारी को थाने से बाहर जाना बताया। इसके बाद मैंने श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से मेरी शराब की दुकान को सही ढंग से चलने देने के सम्बन्ध में तथा नाजायज परेशान नही करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 ने मेरे से कहा कि आप दारू के केस भी नही देते हो तथा हमारा कोई सहयोग भी नही करते है। इस पर मैंने श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि में से पॉच–छः हजार रू0 कम करवाने के लिये कहा तो प्रधुमन सिंह हैड कानि0 ने मेरे को रिश्वत के पैसे साथ लेकर आने तथा कम करवाने की बात उसी समय करने के लिये कहा है। आज श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी थाना पर मौजूद नही मिलने से परिवादी की उससे रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता नही हो सकी है। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 के मोबाईल से ही परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से वार्ता की, तो परिवादी ने बताया कि उससे श्री प्रधूमन सिंह हैड कानि0 ने रिश्वत के पैसे साथ लेकर आने तथा उसी समय थानाधिकारी से रिश्वत राशि कम करवाने के लिये कहा है। आज थानाधिकारी थाना पर मौजूद नही होने से उससे वार्ता नही हो सकी है तथा मेरे व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के मध्य आपस में जो भी बाते हुई है, उन सभी वार्ताओं को मैंने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा आज मुझे सुपुर्द किये गये टेपरिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। आज मैं श्री महेश कुमार कानि0 के साथ आपके कार्यालय में अलवर आऊंगा तो अलवर आते–जाते समय थाने वालो का कोई जानकार मुझे देख लेगा तो उनको शक हो जायेगा। इसलिए मैं जब भी श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी से थाने पर रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करने जाऊगा तो उससे पहले आप मेरे पास टेपरिकार्डर लेकर श्री महेश कुमार जी को मांढण भिजवा देना। इस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को

गोपनीयता की हिदायत दी जाकर मांढण ही रूकने के तथा श्री महेश कुमार कानि0 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया, जो समय 05.30 पी0एम0 पर कार्यालय, में उपस्थित आया एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि वह समय करीब 12.30 पी0एम0 पर कस्बा मांढण पहुंचा, जहॉ पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह मौजूद मिला तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया और डिजिटल वाईस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर समय 12.44 पी0एम0 पर परिवादी को सुपुर्द किया एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपीगण श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 पुलिस थाना मांढण के पास पुलिस थाना मांढण में भिजवाया गया, तो परिवादी पुलिस थाना मांढण के अन्दर चला गया तथा मैं उक्त थाने के बाहर खडा हो गया। समय करीब 09 मिनट बाद परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुलिस थाना मांढण के बाहर निकलकर मेरे पास आकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मुझे दिया, जिसको बन्द करके मैंने अपने पास रख लिया तथा परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वत मांग सत्यापन हेतु ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर अपने साथ लेकर पुलिस थाना मांढण में गया तो वहा पर मुझे श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 मौजूद मिला, जिससे मैंने श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी के बारे में पूछा तो उसने थानाधिकारी को थाने से बाहर जाना बताया। इसके बाद मैंने श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से मेरी शराब की दुकान को सही ढंग से चलने देने के सम्बन्ध में तथा नाजायज परेशान नही करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 ने मेरे से कहा कि आप दारू के केस भी नही देते हो तथा हमारा कोई सहयोग भी नही करते है। इस पर मैंने श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि में से पॉच–छः हजार रू0 कम करवाने के लिये कहा तो प्रधुमन सिंह हैड कानि0 ने मेरे को रिश्वत के पैसे साथ लेकर आने तथा कम करवाने की बात उसी समय करने के लिये कहा है। आज श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी थाना पर मौजूद नही मिलने से परिवादी की उससे रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता नही हो सकी है। तत्पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा प्रस्तुत रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चालू कर सुना गया। जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग सम्बन्धी उपरोक्त वार्ता करना पाया गया। रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांस्क्रीप्ट व सीडी परिवादी के ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में तैयार किया जाना उचित समझते हुये रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया। इसके बाद दिनांक 07.02.2023 को समय 09.15 ए0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसकी परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से वार्ता हुई है और उसने मुझे बताया है कि दिनांक 06.02.2023 को उसके पास उसकी शराब की दुकान पर श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 आया और उसने, उससे कहा कि आप अभी तक रिश्वत के पैसे लेकर थाने पर नही आये। आप दिनांक 07.02.2023 को रिश्वत के पैसे लेकर थाने पर आ जाना और मेरे से व थानेदार जी से मिल लेना। इसलिए परिवादी आज पुलिस थाना मांढण पर श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से मिलने जायेगा और उनसे रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करेगा। परिवादी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा मांढण में बुलाया है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी के लॉक से दिनांक 02.02.2023 की रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं के रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि वह परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से सम्पर्क कर उसे बताये गये स्थान पर जाकर परिवादी से मिले तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ संदिग्ध आरोपीगण थानाधिकारी व हैड कानि0 के पास जाकर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का एवं संदिग्ध आरोपीगण की पहचान करने का प्रयास करे तथा बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादी को हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आने की कहकर श्री महेश कुमार कानि0 462 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के वास्ते मांग सत्यापन कार्यवाही बजानिब मांढण, तहसील नीमराणा, जिला अलवर रवाना किया गया। इसके बाद समय 03.00 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल वाट्सऐप वॉयस कॉल कर अवगत करवाया कि परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने उसे डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया है कि मैं रिश्वत मांग

सत्यापन हेतु पुलिस थाना मांढण में गया तो वहा पर मुझे श्री मुकेश कुमार, थानाधिकारी मौजूद मिला, जिसने मुझे रूकने व बैठने के लिये कहा तो मैं थाने पर ही बैठ गया। इसके बाद थानाधिकारी मुकेश कुमार मुझे अपने साथ लेकर थाना भवन के बाहर थाना परिसर में साईड में ले जाकर मेरी शराब की दुकान को चलाने के सम्बन्ध में बातचीत की तथा उसने मेरे से कहा कि आप शराब की दुकान की ब्रॉच चलाते हो मैं आपकी ब्रॉच नही चलने दूंगा। आपको ब्रॉच चलाने की एवज में पैसे देने पडेंगे, तब मैंने उनसे कहा कि साहब 20 हजार दे दूं, तो उसने मेरे से कहा कि 30 हजार रू0 देने पडेंगें। मैंने थानेदार जी को कम करने के लिये कहा तो उन्होने मेरे को इसबार तो 25 हजार रू0 रिश्वत के देने के लिये कहकर वे मेरे से 25 हजार रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत हो गये है और उन्होने आगे 30 हजार रू0 प्रति महिने के हिसाब से मंथली रिश्वत देने के लिये कहा है तथा मैंने उनको प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के बारे में बताया तो उन्होने मेरे से कहा कि मेरी व प्रधुमन सिंह की एक ही बात है। मैं मिलू तो मुझे दे देना या प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को दे देना आपको कोई परेशानी नही होगी। आज थाने पर श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 मौजूद नही मिलने से आज उससे दुबारा रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता नही हो सकी। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 के मोबाईल से ही परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से वार्ता की, तो परिवादी ने उपरोक्त तथ्य बताते हुये बताया कि श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी ने मेरे से 25 हजार रू0 रिश्वत की मांग की है तथा आज मेरे व श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी के मध्य आपस में जो भी बाते हुई है, उन सभी वार्ताओं को मैंने ए0सी0बी0 के श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा आज मुझे सुपुर्द किये गये टेपरिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। आज मुझे मांढण में ही रूककर रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है तथा मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था होते ही मैं आपके पास अविलम्ब ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को अविलम्ब रिश्वत राशि 25 हजार रू0 की व्यवस्था कर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत दी जाकर मांढण ही रूकने के लिये कहा गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया जो उसी रोज समय 07.30 पी0एम0 पर कार्यालय, में उपस्थित आया एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि वह समय करीब 01.00 पी0एम0 पर कस्बा मांढण पहुंचा, जहॉ पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह मौजूद मिला तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को पुनः विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया और दिनांक 02.02.2023 की रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर समय 01.13 पी0एम0 पर परिवादी को सुपुर्द किया एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपीगण श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 पुलिस थाना मांढण के पास पुलिस थाना मांढण में भिजवाया गया, तो परिवादी पुलिस थाना मांढण के अन्दर चला गया तथा मैं उक्त थाने के बाहर खडा हो गया। समय करीब 02.40 पीएम पर 1 घण्टा 24 मिनट बाद परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुलिस थाना मांढण के बाहर निकलकर मेरे पास आकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मुझे दिया, जिसको बन्द करके मैंने अपने पास रख लिया तथा परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना मांढण में गया तो वहा पर मुझे श्री मुकेश कुमार, थानाधिकारी मौजूद मिला, जिसने मुझे रूकने व बैठने के लिये कहा तो मैं थाने पर ही बैठ गया। इसके बाद थानाधिकारी मुकेश कुमार मुझे अपने साथ लेकर थाना भवन के बाहर थाना परिसर में साईड में ले जाकर मेरी शराब की दुकान को चलाने के सम्बन्ध में बातचीत की तथा उसने मेरे से कहा कि आप शराब की दुकान की ब्रॉच चलाते हो मैं आपकी ब्रॉच नही चलने दूंगा। आपको ब्रॉच चलाने की एवज में पैसे देने पडेंगे, तब मैंने उनसे कहा कि साहब 20 हजार दे दूं, तो उसने मेरे से कहा कि 30 हजार रू0 देने पडेंगें। मैंने थानेदार जी को कम करने के लिये कहा तो उन्होने मेरे को इसबार तो 25 हजार रू0 रिश्वत के देने के लिये कहकर वे मेरे से 25 हजार रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत हो गये है और उन्होने आगे 30 हजार रू0 प्रति महिने के हिसाब से मंथली रिश्वत देने के लिये कहा है तथा मैंने उनको प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के बारे में बताया तो उन्होने मेरे से कहा कि मेरी व प्रधुमन सिंह की एक ही बात है। मैं मिलू तो मुझे दे देना या प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को दे देना आपको कोई परेशानी नही होगी। आज थाने पर श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 मौजूद नही मिलने से आज उससे दुबारा रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता नही हो सकी। तत्पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा प्रस्तुत रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चालू कर सुना

गया। जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग सम्बन्धी उपरोक्त वार्ता करना तथा 25 हजार रू0 रिश्वत की मांग कर प्राप्त करने के लिये सहमत होना एवं रिश्वत राशि स्वयं को अथवा श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि को देने के लिये परिवादी को कहना पाया गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांस्क्रीप्ट व सीडी आईन्दा परिवादी के ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में तैयार किया जाना उचित समझते हुये रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया। इसके बाद दिनांक 09.02.2023 को समय 10.00 ए0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसकी परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से वार्ता हुई है और उसने मुझे बताया है कि उसके पास रिश्वती राशि 25 हजार रू0 की व्यवस्था हो गई है और वह आज अग्रिम कार्यवाही हेतु समय करीब 12.30 बजे तक ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित हो जायेगा तत्पश्चात समय 10.50 ए0एम0 पर सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर को गोपनीय कार्यवाही में दो सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय पत्र जारी कर श्री महेश कुमार कानि0 462 को गवाह लाने हेतु रवाना किया गया तथा साथ ही ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय अलवर से श्री अजय कुमार हैड कानि0 36, श्री लल्लूराम कानि0 487 एवं श्री रामजीत कानि0 206 को कार्यवाही में सहयोग हेतु ए0सी0बी0 चौकी अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित होने हेतु अवगत करवाया गया। इसके बाद समय 11.30 एएम पर एसीबी चौकी अलवर द्वितीय अलवर से तलबशुदा श्री अजय कुमार हैड कानि0 36, श्री लल्लूराम कानि0 487 एवं श्री रामजीत कानि0 206 ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये, तथा समय 12.00 पीएम पर श्री महेश कुमार कानि0 462 नगर विकास न्यास, अलवर से दो गवाह श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक एवं श्री गोपाल लाल सैन, कनिष्ठ सहायक, को तलब कर उपस्थित कार्यालय आया दोनों गवाहान से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आपसी परिचय किया जाकर दोनों को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय 12.15 पी.एम. पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह, ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 02.02. 2023 को समय करीब 12.30 पी0एम0 पर मैं आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 को मौजूद मिला, जहा पर श्री महेश कुमार कानि0 ने मुझे आपके कार्यालय के विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाया और डिजिटल वाईस रिकार्डर को खाली होना सुनिश्चित कर श्री महेश कुमार कानि0 ने विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर समय 12.44 पी0एम0 पर मेरे को सुपुर्द किया जिसको मैं अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपीगण श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 पुलिस थाना मांढण के पास पुलिस थाना मांढण पर गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 थाने के बाहर ही रूक गया था। पुलिस थाना मांढण पर मुझे श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 मौजूद मिला, जिससे मैंने श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी के बारे में पूछा तो उसने थानाधिकारी को थाने से बाहर जाना बताया। इसके बाद मैंने श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से मेरी शराब की दुकान को सही ढंग से चलने देने के सम्बन्ध में तथा नाजायज परेशान नही करने के सम्बन्ध में वार्तालाप की तो श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 ने मेरे से कहा कि आप दारू के केस भी नही देते हो तथा हमारा कोई सहयोग भी नही करते है। इस पर मैंने श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि में से पॉच–छः हजार रू0 कम करवाने के लिये कहा तो प्रधुमन सिंह हैड कानि0 ने मेरे को रिश्वत के पैसे साथ लेकर थाने पर आने तथा कम करवाने की बात उसी समय करने के लिये कहा। उस रोज श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी थाना पर मौजूद नही मिलने से मेरी उससे रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता नही हो सकी तथा मेरे व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था तथा मैंने उक्त वाईस रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था। उक्त सभी तथ्य मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को बताये थे। इसके बाद श्री महेश कुमार कानि0 ने आपसे मोबाईल पर वार्ता की थी तथा मेरी भी आपसे वार्ता करवाई थी और उस रोज मैं मांढण ही रूक गया था और श्री महेश कुमार कानि0 मांढण से अलवर के लिये रवाना हो गया था। इसके बाद दिनांक 07.02.2023 को मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर अपने पास मांढण आने के लिये कहा था, जिस पर दिनांक 07. 02.2023 को समय करीब 01.00 पी0एम0 श्री महेश कुमार कानि0 कस्बा मांढण में मेरे पास पहुंचा, जहॉ पर श्री महेश कुमार कानि0 ने मेरे को पुनः ए0सी0बी0 के विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाया और श्री महेश कुमार कानि0 ने

दिनांक 02.02.2023 की रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर समय 01.13 पी0एम0 पर मेरे को सुपुर्द किया जिसको मैं अपने साथ लेकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपीगण श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 पुलिस थाना मांढण के पास पुलिस थाना मांढण पर गया और श्री महेश कुमार कानि0 थाने के बाहर रूक गया था। पुलिस थाना मांढण पर मुझे श्री मुकेश कुमार, थानाधिकारी मौजूद मिला, जिसने मुझे थाने पर रूकने व बैठने के लिये कहा तो मैं थाने पर ही बैठ गया। इसके बाद थानाधिकारी मुकेश कुमार मुझे अपने साथ लेकर थाना भवन के बाहर थाना परिसर में एक साईड में ले जाकर मेरी शराब की दुकान को चलाने के सम्बन्ध में बातचीत की तथा उसने मेरे से कहा कि आप शराब की दुकान की ब्रॉच चलाते हो मैं आपकी ब्रॉच नही चलने दूंगा। आपको ब्रॉच चलाने की एवज में पैसे देने पडेंगे, तब मैंने उनसे कहा कि साहब 20 हजार दे दूं, तो उसने मेरे से कहा कि 30 हजार रू0 देने पडेंगें। मैंने थानेदार जी को कम करने के लिये कहा तो उन्होने मेरे को इसबार तो 25 हजार रू0 रिश्वत के देने के लिये कहकर वे मेरे से 25 हजार रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत हो गये है और उन्होने आगे 30 हजार रू0 प्रति महिने के हिसाब से मंथली रिश्वत देने के लिये कहा है तथा मैंने उनको प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के बारे में बताया तो उन्होने मेरे से कहा कि मेरी व प्रधुमन सिंह की एक ही बात है। मैं मिलू तो मुझे दे देना अथवा मैं नही मिलू तो प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को दे देना आपको कोई परेशानी नही होगी। उस रोज थाने पर श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 मौजूद नही मिलने से दिनांक 07.02.2023 को उससे दुबारा रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता नही हो सकी। मेरी, श्री मुकेश कुमार, थानाधिकारी, पुलिस थाना मांढण से हुई सभी वार्तालाप को मैंने आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार द्वारा मुझे मांढण में सुपुर्द किये गये डिलिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था तथा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मैंने मांढण में ही आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार को वापस देकर उक्त तथ्यों के बारे में बताया था तथा श्री महेश कुमार ने अपने मोबाईल से मेरी बात आपसे करवाई थी। उसके बाद मैं वही रूक गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु आज मैं संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25000 रू0 अपने साथ लेकर आया हूँ। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने ग्राम पंचायत मांढण की शराब की कम्पोजिट दुकान नं0 1 में दिनांक 01.08.2022 से अपनी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बाबत श्री धीरज यादव द्वारा 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 08.02.2023 को लिखे गये समझौता पत्र की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत किया, जिसे बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 12.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह का परिचय कार्यालय में मौजूद दोनों गवाहान श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक एवं श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक से करवाया गया तथा दोनों गवाहान को परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 01.02.2023 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, तो दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 12.45 पी.एम. पर गवाह श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक एवं श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह तथा संदिग्ध आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31, पुलिस थाना मांढण के मध्य दिनांक 02.02.2023 को एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह तथा संदिग्ध आरोपी श्री मुकेश कुमार, उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण, जिला भिवाडी(अलवर) के मध्य दिनांक 07.02.2023 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उसे चालू कर दोनों गवाहान को रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं में रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं के मुख्य अंश सुनाये गये, जिसमें आरोपीगण श्री मुकेश कुमार, उप निरीक्षक थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31, पुलिस थाना मांढण, जिला भिवाडी(अलवर) द्वारा परिवादी से ग्राम पंचायत मांढण में आबकारी विभाग से आवंटित शराब की दुकान नं0 1 को सही ढंग से चलने देने तथा नाजायज परेशान नही करने की एवज में 25 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना पाया गया। संदिग्ध आरोपीगण द्वारा परिवादी को रिश्वत की राशि लेकर आज ही बुलाया जाने से संदिग्ध आरोपीगण के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही शीघ्र किये जाने से रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांस्क्रीप्ट व सीडी तैयार करने में समय अधिक लगने से समय अभाव के कारण वार्तालाप की ट्रास्क्रीप्ट व सीडी ट्रेप कार्यवाही के दौरान बाद में तैयार किया जाना उचित समझते हुये मन पुलिस निरीक्षक

द्वारा वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया, इसके बाद समय 01.15 पी0एम0 पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक एवं श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक के सामने मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को संदिग्ध आरोपीगण श्री मुकेश कुमार, उप निरीक्षक थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31, पुलिस थाना मांढण, जिला भिवाडी(अलवर) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने अपने पास से 500–500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित करवाये जाकर गवाहान से मिलान करवाया गया तथा श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी जाकर कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 25,000/– रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री गोपाल सैन से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 25,000/– रूपये को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के शरीर पर पहनी हुई कोटी (वास्कट जेकेट) की दाहिनी जेब में सुरक्षित रखवाया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपीगण उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगें तो उनके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उनके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उनने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 02.02.2023 एवं 07.02.2023 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्ति कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 01.45 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक, श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री, श्री रामजीत कानि0 206, लल्लूराम कानि0 एवं श्री हरीश चन्द कानि0 503 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन में बैठाकर तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं सर्वश्री साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, अजय कुमार हैड कानि0 36, महेशकुमार कानि0 नंम्बर 462 को जरिये प्राईवेट वाहन हमराह लेकर एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब मांढण के लिये रवाना हुआ तथा श्रीमति सुनिता महिला कानि0 201 को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय में ही छोडा गया। इसके बाद समय 04.25 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के कस्बा मांढण में स्थित पुलिस थाना के नजदीक पहुचा। जहां

पर संदिग्ध आरोपीगण के मिलने की लोकेशन जानने के लिये मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के मोबाईल नं0 7742932619 से संदिग्ध आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31, के मोबाईल नं0 8168289525 पर फोन करवाकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की संदिग्ध आरोपी श्री प्रधूमन सिंह हैड कानि0 से समय 04.28 पी0एम0 पर वार्ता करवाई गई, तो आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 ने थाने पर ही होना तथा रिश्वत राशि लेकर परिवादी को जल्दी थाने पर आने के लिये कहा गया, उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तथा श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जरिये प्राईवेट वाहन वास्ते सुपरविजन मौके पर हाजिर आये जिनको समस्त हालातों से अवगत करवाया गया। इसके बाद समय 04.30 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपीगण श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 के पास रिश्वत राशि देने के लिए पुलिस थाना मांढण पर जाने के लिये रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के वाहनों में ही बैठकर परिवादी पर निगरानी रखते हुये पुलिस थाना मांढण के आस–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ, समय करीब 07.55 पी0एम0 पर पुलिस थाना मांढण से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह बिना ईशारा किये ही बाहर आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को उसके पीछे–पीछे चलने का ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को वाहनों से ही हमराह लेकर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुआ। तत्पश्चात परिवादी कस्बा मांढण की तरफ एकान्त जगह में रूककर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को दिया, जिसे मन पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने दोनों गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना मांढण पर गये, जहा पर मुझे श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 थाने पर मौजूद नही मिले, जिसके बारे में मैंने थाने पर मौजूद अन्य पुलिस स्टाफ वालों से पूछा तो थानाधिकारी व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को आज किसी शादी में बाहर जाना बताया, जिस पर मैंने मेरे मोबाईल से श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के मोबाईल पर फोन किया तो उसने मेरा फोन भी नही उठाया। इसके बाद मैंने थाने के सामने स्थित चाय की दूकान पर ही रूककर उनके थाने पर आने का इन्तजार किया इसके बाद मैंने पुनः थाने पर जाकर उनका मालुम किया किन्तु वो अभी तक भी थाने पर नही आये है। इसलिए मैं बिना कोई ईशारा किये ही थाने के बाहर आ गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से प्राप्तशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन–देन सम्बन्धी कोई वार्तालाप रिकार्ड होना नही पाई गई, अन्य असम्बन्धित वार्ता/आवाज रिकार्ड होना पाई गई। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा यह भी बताया कि अब रात भी हो गई है। यदि मैं उनके आने पर रात में उनको रिश्वत राशि देने के लिये जाउंगा तो उनको शक हो जायेगा। इसलिए मैं कल दिनांक 10.02.2023 को प्रातः रिश्वत राशि देने हेतु मैं थाने पर जाउंगा उस समय दोनों संदिग्ध अधिकारी मुझे थाने पर ही मिल जायेगें। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की कोटी की जेब में रखी हुई पाऊडर युक्त राशि 25,000 रूपये को श्री महेश कुमार कानि0 462 से निकलवाकर उक्त राशि को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर, श्री महेश कुमार कानि0 462 के पास ही सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को दिनांक 10.02.2023 को समय 10.00 ए0एम0 पर बहरोड–कुण्ढ रोड पर कानावास बेरियल के पास उपस्थित मिलने एवं गोपनीयता रखने एवं कस्बा मांढण में ही रहने की हिदायत दी गई तथा श्री साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री अजय कुमार हैड कानि0 36, श्री रामजीत कानि0 206 एवं श्री लल्लूराम कानि0 487 को दिनांक 10.02.2023 को प्रातः 09.00 ए0एम0 पर कानावास बैरियल पर मिलने की हिदायत देकर रूकसत दी गई। हालात से श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस को अवगत करवाया गया। इसके बाद समय 08.15 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रीतम लाल कनिष्ठ सहायक, श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक मय ट्रेपपार्टी के सदस्य श्री हरीश चन्द कानि0 503, श्री महेश कुमार कानि0 462 के जरिये प्राईवेट वाहन अलवर के लिये रवाना होकर समय 10.00 पी0एम0 ए0सी0बी0 चौकी अलवर हाजिर आया तथा ट्रैप बॉक्स व लैपटॉप प्रिन्टर को कार्यालय में रखवाया गया एवं रिश्वती राशि के लिफाफे को श्री महेश कुमार कानि0 462 से कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित

रखवाया गया तथा दोनों गवाहान को दिनांक 10.02.2023 को समय 08.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से मसकन के लिये रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 10.02.2023 को समय 08.00 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री प्रीतम लाल कनिष्ठ सहायक एवं श्री गापोल सैन, कनिष्ठ सहायक, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये तत्पश्चात समय 08.10 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द ने दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक, श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 से कार्यालय की आलमारी के लॉक से दिनांक 09.02.2023 को रखी गई रिश्वती राशि 25 हजार रू0 फिनोफ्थैलीन पाउडरयुक्त नम्बरी नोटों के लिफाफे को सुरक्षित निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाकर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री, श्री महेश कुमार कानि0 462 एवं श्री हरीश चन्द कानि0 503 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर मय यू0पी0एस0 साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब कानावास बेरियल/मांढण के लिये रवाना होकर समय 10.00 ए0एम0 पर बहरोड–कुण्ढ रोड पर कानावास बेरियल पर निर्धारित स्थान पर पहुंचा। जहा पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक मय स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार हैड कानि0 36, श्री रामजीत कानि0 206 एवं श्री लल्लूराम कानि0 487 सहित मौजूद मिलें। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने दोनों गवाहान के समक्ष बताया कि मैंने आज सुबह थाने पर मालुमात करवाया, तो श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 थाने पर आ गये है और उक्त दोनों थाने पर ही मौजूद है। इस पर समय 10.15 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतन्त्र गवाह श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक, श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 से ब्यूरों कार्यालय अलवर में प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखी हुई पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000 रूपये को मय लिफाफा सहित बाहर निकलवाकर उक्त राशि को लिफाफे से बाहर निकलवाकर कानि0 महेश कुमार नं0 462 से उक्त राशि के नोटों को उपर नीचे करवाकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की बाद जामा तलाशी पहनी हुई कोटी (वास्कट जेकेट) की दाहिनी साईड की जेब में सावधानीपूर्वक रखवाकर परिवादी को पूर्वानुसार मुनासिब हिदायत दी गई तथा वक्त लेन–देन के समय आरोपीगण की वार्ता को टेप करने के लिए विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर, जिसमें दिनांक 02.02.2023 व 07.02.2023 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की एवं दिनांक 09.02.2023 की रिश्वत लेन–देन के कम में हुई मोबाईल वार्ता रिकार्ड है परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को सुपुर्द किया गया। समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन–पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबन–पानी से साफ किये गये, तत्पश्चात समय 11.00 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक, श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक व ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री अजय कुमार हैड कानि0 36, श्री हरीश चन्द कानि0 503, श्री लल्लूराम कानि0 487 एवं श्री रामजीत कानि0 206 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर, यू0पी0एस0 साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों में बैठाकर तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह, व श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर मौका कानावास बेरियल से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब पुलिस थाना मांढण के लिये रवाना होकर समय 11.15 ए0एम0 पर पुलिस थाना मांढण के पास पहुंचा, जहां पर प्राईवेट वाहनों को एकान्त में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपीगण श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 के पास रिश्वत राशि देने के लिए पुलिस थाना मांढण पर जाने के लिये उसकी मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के परिवादी पर निगरानी रखते हुये पुलिस थाना मांढण के आस–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। इसी दौरान श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वास्ते सुपरविजन मौके पर उपस्थित आये हुये को हालातों से अवगत करवाया गया। इसके बाद समय 11.31 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना माढण के मैन गेट के बाहर रोड पर खडे होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही पुलिस थाना मांढण के मैन गेट पर मौजूद परिवादी सुरेन्द्र

सिंह के पास पहुंचा जहां पर परिवादी से सुपुर्द शुदा वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि प्रधुमन सिंह हैड कानि0 द्वारा मुझे थाने के अन्दर स्वागत कक्ष के पास ले जाकर मुझसे 25 हजार रूपये मांगकर अपने दाहिने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई खाकी वर्दी की पैन्ट की दाहिनी साईड की पीछे की जेब के अन्दर रख लिये है, तथा वह थाने के अन्दर ही वर्दी में है तथा थानेदार मुकेश यादव थाने के अन्दर से अभी अभी असपताल की तरफ गया है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को व परिवादी को हमराह लेकर तुरन्त ही पुलिस थाना मांढण के अन्दर पहुंचा जहां पर थाने के अन्दर ही नीम के पेड नीचे खडे तीनफीत लगी खाकी वर्दी पहने हुये व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि ये ही प्रधुमन सिंह हैड कानि0 है जिसने मुझसे अभी अभी 25 हजार रूपये लिये है, जिस पर नीम के नीचे खडे हुये वर्दीधारी व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम प्रधुमन सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश जाति अहीर उम्र 43 वर्ष निवासी जखराना तहसील व पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल हैड कानि0 नम्बर 31 पुलिस थाना मांढण पुलिस जिला भिवाडी, होना बताया, जिससे थानाधिकारी के बारे में पूछा तो उसने थानाधिकारी का अस्पताल की तरफ अपने सरकारी आवास पर अभी अभी जाना बताया, जिस पर प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को थानाधिकारी के कक्ष में ले जाया जाकर बैठाया गया एवं श्री साहिब सिंह एएसआई को जाप्ता के श्री अजय कुमार हैड कानि0 व रामजीत सिंह कानि0, श्री हरीशचन्द कानि0 को थानाधिकारी मुकेश कुमार को डिटेन कर लेकर आने हेतु उसके अस्पताल के पास स्थित सरकारी आवास पर भेजा गया, जो थानाधिकारी श्री मुकेश कुमार को उसके सरकारी आवास से लेकर मन पुलिस निरीक्षक के पास थाना पर आये तथा थानाधिकारी मुकेश कुमार को उनके कक्ष में ही कुर्सी पर बैठाया जाकर उसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति अहीर उम्र 50 वर्ष निवासी गांव धोकिया पुलिस थाना जाटूसान तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा) हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण पुलिस जिला भिवाडी होना बताया। इसके बाद दोनो गवाहान व परिवादी एवं थानाधिकारी के सामने ही श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से प्राप्त की गई 25000/–रूपये की रिश्वत राशि को प्राप्त करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि–मुझे इन मुकेश कुमार थानाधिकारी ने अपने पास बुलाकर कहा था कि दारू का ठेकेदार सुरेन्द्र सिंह आ रहा है उससे मिल लेना, उसके कुछ समय के बाद इस सुरेन्द्र का मेरे पास फोन आया और मुझसे कहा कि कहां हो आपसे मिलना है तो मैने इस सुरेन्द्र से कहा कि थाने पर हूं आजा, जिस पर कुछ समय के बाद इस सुरेन्द्र सिंह ने थाने के गेट के पास आकर मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि मै थाने के गेट पर हूं आप कहां हो तो मैने कहा कि अन्दर ही हूं फिर मै गेट पर गया और स्वागत कक्ष के पास इसने मुझे 25 हजार रूपये दिये जो मैने गिनकर अपनी पहनी हुई खाकी वर्दी की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये, उसके कुछ समय के बाद आपने मुझे पकड लिया, मैने कोई रिश्वत की इससे मांग नहीं की है। इसके बाद श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी से दिनांक 07.02.2023 को सुरेन्द्र सिंह दारू ठेकेदार से 25 हजार रूपये की मांग कर उसके अनुशराण में ही आज दिनांक 10.02.2023 को आपके कहे अनुसार इस प्रधुमन सिंह हैड कानि. द्वारा सुरेन्द्र सिंह से प्राप्त किये 25000/–रूपये के बारे में पूछा तो श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी ने बताया कि–इस सुरेन्द्र सिंह को मै पहले से जानता हूं मैने इसको पहले पैसे दिये थे मुझे याद नहीं है कि कितनी बार कितने दिये थे, कभी ये मेरे से ले लेता था कभी मै इससे ले लेता हूं। दिनांक 07.02.2023 को मैने इस सुरेन्द्र सिंह से कहा था कि तेरे से जो भी 20–25 हजार रूपये बने तो दे देना, आज इस सुरेन्द्र सिंह ने इस प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को जो भी पैसे दिये है वह मेरे द्वारा मांगे गये वह पैसे दिये है या अलग से दिये है मुझे जानकारी नही है, मैने इस प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को आज इस सुरेन्द्र सिंह से कोई भी पैसे लेने के लिये नहीं कहा था। मेरे द्वारा कोई रिश्वत की मांग नहीं की है और नांही इस प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के जरिये इस सुरेन्द्र सिंह से प्राप्त की गई है,। इसके बाद थानाधिकारी मुकेश कुमार व प्रधुमन सिंह हैड कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से पूछा गया तो परिवादी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि–कस्बा मांढण में आबकारी विभाग द्वारा श्री नाहर सिंह को अग्रेजी व देशी शराब की एक कम्पोजिट दुकान नं0 1 ग्राम पंचायत माढण, खूंदरोट, डाबडवास के नाम

से आवंटित हुई थी, जिसमें धीरज यादव पुत्र श्री रामनिवास निवासी मिल्कपुर, तहसील बहरोड की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी में उसके साथ 5 प्रतिशत की मेरी भी हिस्सेदारी है तथा उक्त दुकान का संचालन व देखरेख का समस्त कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है। दिनांक 29.01.2023 को यह थानाधिकारी श्री मुकेश कुमार व श्री प्रधुमन सिंह हैड मेरी शराब की उक्त दुकान पर आये और मेरे से कहने लगे की आपने ब्रांच चला रखी है और आज हमने आपकी सात पेटी देशी शराब की पकडी है, यदि आपको अपने शराब के ठेके का आगे सही संचालन करना है तो प्रतिमाह 30,000 रू0 मासिक बंधी के तौर पर रिश्वत के देने पडेगे, नही तो आपकी शराब की दुकान को नही चलने देगें और मुकदमें दर्ज कर–कर के बन्द करा देगें, इन दोनो के द्वारा मुझे 30,000 रू0 मंथली रिश्वत के दिये जाने के लिये परेशान किया जा रहा था तथा मुझको मेरी शराब की दुकान का संचालन सही नही करने दे रहे थे और नाजायज परेशान कर रहे थे, मै रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि इन्हें रंगे हाथों पकडवाना चाहता था इसलिये दिनांक 01.02.2023 को आपके कार्यालय मे उपस्थित होकर लिखित शिकायत दी, जिस पर आपके द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु अपने एक सिपाही को टेप रिकार्डर सहित मेरे पास दिनांक 02.02.2023 को मांढण भेजा था, जिस पर दिनांक 02.02.2023 को आपका सिपाही महेश कुमार मुझसे माढण में आकर मिला जिसने मुझे टेप रिकार्डर देकर इनके पास भेजा तो मै इस प्रधुमन सिंह हैड साहब से थाने पर आकर मिला तो इसने मुझसे कहा कि मै आपको थानेदार जी से मिला दूंगा आप जब भी अगली बार आओ तो लेकर के आ जाना थानेदार जी मिलवाकर कम करवा दूंगा, इसके बाद दिनांक 07.02.2023 को मै थाने पर आकर इन थानेदार साहब मुकेश कुमार जी से मिला तो इन्होने मुझसे ब्रांच खुलेआम नहीं चलने देने व चोरी छिपे चलने की कहकर मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करवाये जाने पर इन थानेदार साहब ने कहा कि मुझे मालूम है आप घाटे में जा रहे हो पर हमें भी आगे देने पडते है, आप ऐसे करना इस महिने 25 हजार कर देना, एवं प्रधुमन हैड कानि0 से मिल लेना हमारी दोनो की एक ही बात है आप ऐसा करना 25 हजार रूपये ले आना, इस पर इनकी मांग अनुसार मैने दिनांक 09.02.023 को इस प्रधुमन सिंह से फोन पर बात की तो इसने मुझे पैसे लेकर थाने पर आने को कहा तो मै थाने पर आया तो ये दोनो थाने पर नहीं मिले थाने वालो ने इनका शादी में जाना बताया, इनका काफी देर तक आने का इन्तजार किया किन्तु ये नहीं आये, उसके बाद आज दिनांक 10.02.2023 को मैने इस प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को फोन कर पैसे लेकर आने के संबंध में पूछा तो इसने मुझे थाने पर आने को कहा जिस पर मै थाने पर आया तो यह प्रधुमन सिंह हैड कानि0 वर्दी में मुझे थाने में बने स्वागत कक्ष के पास ले गया और वहां पर इसने मुझसे मांगकर 25 हजार रूपये ले लिये और दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई खाकी पैंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब के अन्दर रख लिये उसके बाद मैने आपको ईशारा कर दिया था। इन दोनो ने मिलकर मुझसे 25 हजार रूपये रिश्वत में लिये है। मेरा इन दोनो से रूपये पैसे का कोई लेन–देन बकाया नहीं है, नांही मैने कभी इन थानेदार मुकेश कुमार से कोई पैसे उधार लिये और नहीं दिये है। ये जो 25 हजार रूपये मुझसे लिये है यह रिश्वत में लिये है। इसके बाद परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध एक बार पुनः श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी व श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 से पूछा गया तो दोनो ने पूर्व में बताई गई बातों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई। तत्पश्चात् थाना परिसर से जरिये लल्लूराम कानि0 से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी भरवाकर मंगवाया एवं ट्रैप बौक्स से दो साफ कांच के गिलासों को निकलवाकर उन्हें पुनः साबुन व पानी से साफ कराकर उन कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर उनमें श्री अजय कुमार हैड कानि0 से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने दोनो गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया, तत्पश्चात एक गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों को ढक्कन सहित पुनः साबुन व साफ पानी से साफ कराकर उन दोनो कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर चिट व कपडे पर परिवादी, दोनो गवाहों एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे कॉच के गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा

गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों को ढक्कन सहित पुनः साबुन व साफ पानी से साफ कराकर उनमें आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एल 1, एल 2 अंकित कर चिट व कपडे पर परिवादी, दोनो गवाहान व आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 को परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से प्राप्त की गई 25,000/—रूपये की रिश्वत राशि को पेश करने को कहा तो उसने अपनी पहनी हुई वर्दी की खाकी पेंट की दाहिनी साईड की पीछे वाली जेब में रखी होना बताया जिस पर गवाह श्री गोपाल सैन कनिष्ठ सहायक से आरोपी प्रधुमन सिंह हैड कानि0 की पहनी हुई वर्दी की खाकी पेंट की दाहिनी साईड की पीछे वाली जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब के अन्दर से 500—500 रूपयों की मुडी हुई छोटी से गड्डी मिली जिसको उक्त गवाह से बाहर निकलवाकर गिनवाया गया 500—500 रूपये 50 नोट कुल 25000/—रूपये (पच्चीस हजार रूपये) मिले उक्त बरामद शुदा 25000/—रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। बरामद शुदा 25000/—रूपये रिश्वत राशि नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाकर उपरोक्त बरामद शुदा नम्बरी रिश्वती नोटों को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील चिट मोहर कर लिफाफे के उपर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के बदन पर पहनी हुई वर्दी की खाकी पेंट को ससम्मान बदन से उतरवाया जाकर थाना हाजा के मुलाजमान से दूसरी पेंट मंगवाकर पहनवाया गया, तथा उतारी वर्दी की खाकी पेंट की दाहिनी साईड की पीछे की जेब को छोडकर पेंट की अन्य जेबों की तलाशी गवाह श्री प्रीतम लाल कनिष्ठ सहायक से उसके हाथ साबुन पानी से साफ कराने के बाद लिवाई गई जिसमें कोई शः बरामद नहीं हुई तत्पश्चात पूर्व की भांति एक कांच के गिलास को श्री लल्लूराम कानि0 से साबुन व साफ पानी से साफ करवाया जाकर गिलास में प्लास्टिक की पानी की बोतल में से थोडा सा साफ पानी भरवाकर उसमें श्री अजय कुमार हैड कानि0 से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के बदन से उतरवाई हुई उसकी खाकी पेंट की दाहिनी साईड की पीछे की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई को गवाह श्री प्रीतम लाल कनिष्ठ सहायक से उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों को ढक्कन सहित पुनः साबुन व साफ पानी से साफ कराकर उनमें आधा आधा डलवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क पी—1, पी—2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात उक्त खाकी पेंट की धुलाई हुई दाहिनी साईड की पीछे की जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर वर्दी की खाकी पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क पी ,,अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी की जामा तलाशी गवाह श्री प्रीतम सिंह कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुये पैन्ट की सामने की बांयी साईड की जेब के अन्दर 1100/—रूपये व दाहिनी साईड की जेब के अन्दर दो मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का मिले के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, तलाशी में मिले मोबाईल फोन सैमसंग को चैक किया तो उसमें डब्ल सिम स्लोट जिसके एक स्लोट में सिम नम्बर—7375810627 आईडिया की लगी हुई एवं दूसरे स्लोट में सिम नहीं मिली, तथा दूसरा मोबाईल सैमसंग डीयूओएस जिसमें सीयूजी सिम नम्बर 8764874037 लगी मिली, जामा तलाशी में मिली नगद राशि 1100/—रूपये एवं दोनो मोबाईल फोनो के बारे में पूछा जाने पर मुकेश कुमार थानाधिकारी ने बताया कि 1100/ रूपये की राशि मेरे स्वयं के बेतन बचत की है जो खर्चा पानी हेतु जेब में रखी हुई है, तथा सैमसंग का डब्ल सिम स्लोट मोबाईल पर्सनल होना व छोटा सैमसंग डीयूओएस मोबाईल सीयूजी होना बताया, आरोपी का 1100/—रू. एवं छोटे मोबाईल डीयूओएस बाबत जबाब संतोषप्रद पाये जाने पर उक्त 1100/—रूपयों एवं सीयूजी सिम वाले छोटे सैमसंग

मोबाईल फोन को थानाधिकारी के कहने पर थाना हाजा के श्री युद्धवीर एएसआई कार्यवाहक इन्चार्ज को सुपुर्द किया गया, मोबाईल फोन सैमसंग डबल सिम स्लोट को कार्यवाही में वास्ते बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी मुकेश कुमार थानाधिकारी से परिवादी सुरेन्द्र सिंह के कार्य से सम्बन्धित दिनांक 29.01.2023 को जप्त की गई शराब बाबत पूछा गया तो मुकेश कुमार थानाधिकारी ने जप्त की गई शराब से सम्बन्धित थाना हाजा पर दो मुकदमा नम्बर 29/2023 व 31/2023 दिनांक 29.01.2023 दर्ज होना व मुकदमा नम्बर 29/2023 की तफ्तीश शीशराम हैड कानि0 एवं मुकदमा नम्बर 31/2023 की तफ्तीश प्रधुमन सिंह हैड कानि0 के पास होना बताया, जिस पर उक्त दोनो मुकदमात की एफआईआर की प्रमाणित प्रतियां थाना हाजा के कार्यवाहक इन्चार्ज श्री युद्धवीर एएसआई से प्राप्त की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी सुरेन्द्र सिंह से प्राप्त कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर एयरफोन की मदद से मुख्य अंशों को सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपीगण मुकेश कुमार थानाधिकारी व प्रधुमन सिंह हैड कानि0 एवं परिवादी सुरेन्द्र सिंह से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन–देन तो बकाया नही है तो तीनों ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पी0एम0 पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका एवं हालात मौका कसीद किया गया, इसी दौरान हस्ब तलब शुदा श्री राजवीर सिंह कानि0 नं0 443 एसीबी चौकी अलवर द्वितीय अलवर से जरिये सरकारी वाहन टवेरा के उपस्थित आया, इसके बाद आरोपी श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक थानाधिकारी के सरकारी आवास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। इसके बाद समय 5.45 पी0एम0 पर आरोपी श्री मुकेश कुमार उपनिरीक्षक पुलिस थानाधिकारी को एवं समय 06.15 पी0एम0 पर आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 नम्बर 31 को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0द0सं0 में जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली की गई तथा दौराने गिरफ्तारी आरोपी की जामा तलाशी में मिले मोबाईल मेक Redmi 21061119B1 बरंग काला जिसमें सिम नं. 8168289525 व 8764874257 लगी हुई को कार्यवाही मे मशगूल होने से वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। इसके बाद समय 08.05 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक समस्त कार्यवाही के हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाकर जरिये प्राईवेट/सरकारी वाहन मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री मुकेश कुमार, उप निरीक्षक, श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 मय हमराही ए0सी0बी0 स्टाफ के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, यूपीएस मय ट्रेप कार्यवाही जब्त/सिल्डशुदा वजह सबुत के पुलिस थाना मांढण से बाद सम्पन्न कार्यवाही के रवाना होकर समय 10.00 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया तथा ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, यूपीएस को कार्यालय में रखवाया गया तथा गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपीगण को ए0सी0बी0 स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया तथा कार्यवाही में जब्त/सिल्डशुदा बजह सबुतों को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, तथा दोनो गिरफतारशुदा आरोपीगण को खाना खिलाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर हवालात में बन्द करवाया गया तत्पश्चात दोनो गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में परिवादी तथा आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31, के मध्य दिनांक 02.02.2023 को एवं परिवादी व आरोपी मुकेश कुमार उप निरीक्षक थानाधिकारी के मध्य दिनांक 07.02.2023 को हुई रिश्वती मांग सत्यापन वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उसमें रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, वार्ताओं में परिवादी ने अपनी आवाज एवं आरोपी श्री प्रधुमन हैड कानि0 31 एवं श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक थानाधिकारी,की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों

सीडीयों पर मार्क ''ए–1'', मार्क ''ए–2'' एवं मार्क ''ए–3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''ए–1'' व मार्क ''ए–2'' को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मौहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क ''ए–3'' को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर रखा गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की सीडी बनाई जाने में किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नही की गई। इसके बाद दोनो गवाहान व परिवादी के सामने परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 के मध्य दिनांक 09.02.2023 को रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 10.02.2023 को रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उसमें रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, वार्ताओं में परिवादी द्वारा अपनी आवाज की व आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने सही होना स्वीकार किया तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क ''बी–1'', मार्क '' बी–2'' एवं मार्क '' बी–3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क '' बी–1'' व मार्क '' बी–2'' को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मौहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्का अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क '' बी–3'' को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर रखा गया तथा कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 02.02.2023 को परिवादी व आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 पुलिस थाना मांढण, जिला भिवाडी(अलवर) के मध्य एवं दिनांक 07.02.2023 को परिवादी व आरोपी श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक थानाधिकारी, के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताऐं एवं फोल्डर नं0 2 में दिनांक 09.02.2023 को परिवादी व आरोपी श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31 के मध्य रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 10.03.2023 को रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई, के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की सीडी बनाई जाने में किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई। इसके बाद ट्रैप कार्यवाही में बजह सबूत को सील्ड करने व फर्दात पर नमूनाशील अंकित करने के लिए प्रयोग में ली गई, कार्यालय की नमूना ब्राशसील नं. 42 पीतल को बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री महेश कुमार कानि0 462, से तुडवाकर नष्ट करवाया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। इसके बाद दिनांक 11.02.2023 को समय समय 10.50 ए0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त/सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स, जब्तशुदा रिश्वती राशि 25 हजार रू0 श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया, तत्पश्चात समय 11.15 ए0एम0 पर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्य शेष नही होने से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूकसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक, थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31, पुलिस थाना मांढण, जिला भिवाडी(अलवर) द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर मिलीभगत कर षडयंत्र पूर्वक एक राय होकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह निवासी नानगवास

तहसील नीमराणा जिला अलवर पेशा दारू ठेकेदार से उसकी ग्राम पंचायत मांढण में आबकारी विभाग से स्वीकृत शुदा अग्रेजी व देशी शराब की कम्पोजिट दुकान नम्बर 01 को निर्बाध संचालन करने देने की एबज में वक्त सत्यापन दिनांक 02.02.2023 व 07.02.2023 को 25 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनाक 10.02.2023 को श्री मुकेश कुमार, उप निरीक्षक, थानाधिकारी द्वारा श्री प्रधुमन सिंह के माध्यम से 25000/—रूपये प्राप्त करने तथा आरोपी श्री प्रधुमन सिह हैडकानि0 द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिह से 25 हजार रू0 की रिश्वत राशि श्री मुकेश कुमार थानाधिकारी के लिये एवं अपने स्वयं के लिये प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि श्री प्रधुमन सिह के कब्जे से उसकी पहनी हुई खाकी पेंट की दाहिनी साईड की पीछे की जेब से बरामद होने के जुर्म में आरोपी श्री मुकेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी एवं श्री प्रधुमन सिंह हैड कानि0 31, पुलिस थाना मांढण, जिला भिवाडी (अलवर) का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी (1) श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सिह जाति अहीर उम्र 50 वर्ष निवासी धोकिया पुलिस थाना जाटूसान तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा हाल उपनिरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना मांढण पुलिस जिला भिवाडी अलवर एवं (2) श्री प्रधुमन सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश जाति अहीर उम्र 43 वर्ष निवासी जखराना तहसील व पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल हैड कानि0 नम्बर 31 पुलिस थाना मांढण पुलिस जिला भिवाडी(अलवर) के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
अलवर प्रथम, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी एवं 2. श्री प्रधुमन सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश, हैड़ कानि. नम्बर 31, पुलिस थाना मांढण, पुलिस जिला भिवाड़ी (अलवर) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 36/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 279-83 दिनांक 11.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला भिवाड़ी, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

11.2.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।